मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

कमांक 7712 /2024/तेरह/02 भोपाल, दिनांक 9/10/2024

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।

विषयः–घोषित एवं अघोषित अवैध कॉलानियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु "सुगम विद्युत (सुविधा) योजना, 2024" लागू किये जाने बाबत्।

:–:

राज्य शासन द्वारा, प्रदेश की घोषित एवं अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान में राहत दिये जाने हेतु "सुगम विद्युत (सुविधा) योजना 2024" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत निहित शर्तों के अधीन अधोसंरचना लागत राशि किश्तों में जमा की जा सकती है। यह योजना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

2/ उपरोक्त योजना दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी ।

3/ निर्देशानुसार, योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने, योजना के कियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं योजना की प्रगति से विभाग को नियमित रूप से अवगत कराये जाने का कृपया अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

V.K.Gaur
(व्ही.के. गौड़)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन कमांक 7713 /2024/तेरह/02 भोपाल, दिनांक 9/10/24

प्रतिलिपि –

1. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ई–4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

V.K.Gaur
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

परिशिष्ट-1

अवैध कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान में राहत दिये जाने हेतु "सुगम विद्युत् (सुविधा) योजना, 2024".

1. **उद्देश्य:-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की घोषित व अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत् कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान की सुगमता प्रदान करना है।

2. **योजना का नाम :-** इस योजना का नाम "सुगम विद्युत् (सुविधा) योजना, 2024" प्रस्तावित है।

3. **योजना की अवधि:-** यह योजना प्रभावशील होने की दिनांक से प्रथमत: दो वर्ष की अवधि हेतु लागू रहेगी। योजनान्तर्गत प्राप्त प्रगति/परिणामों की समीक्षा उपरांत योजना की अवधि बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

4. **पात्रता:-**

   (i) प्रदेश की घोषित अवैध कॉलोनियों, अघोषित अवैध कॉलोनियों और वे कालोनियाँ जो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, में निवासरत नवीन आवेदक, जो विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का निर्माण विद्युत वितरण कंपनियों से करना चाहते हैं परन्तु प्राक्कलन राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं कर पाने के कारण नवीन कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

   (ii) यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों व आवेदकों के समूह के लिए लागू होगी। हाउसिंग सोसाइटी/ बिल्डर/ कॉलोनाइज़र इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

5. **प्रावधान:-**

   5.1 योजना अंतर्गत आवेदकों को स्थाई विद्युत् कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिये देय राशि, प्रचलित "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयंत्रों हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 {आरजी-31(II) वर्ष 2022}" (जिसे आगे विनियम कहा जाएगा) अंतर्गत निर्धारित प्राक्कलित राशि के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित होगी :-

   (i) घोषित अवैध कॉलोनी के रहवासियों के लिए - विनियम 4.6.1 (ii) अंतर्गत निर्धारित प्रति किलोवाट राशि।

(ii) अघोषित अवैध कॉलोनी, जिसका प्राक्कलित भार 500 केव्हीए या 400 किलोवाट से अधिक है, के रहवासियों के लिए - विनियम 4.6.2 (i) व (ii), सहपठित 4.6.1 (ii) अंतर्गत निर्धारित प्रति किलोवाट राशि।

(iii) अघोषित अवैध कॉलोनी, जिसका प्राक्कलित भार 500 केव्हीए या 400 किलोवाट से कम है, के रहवासियों के लिए - विनियम 4.6.2 (iv) अंतर्गत रू. 15,567 प्रति किलोवाट।

5.2 योजना अंतर्गत आवेदक या आवेदकों के समूह को उक्तानुसार देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत भुगतान आवेदन के साथ एकमुश्त देना होगा।

5.3 शेष राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के पश्चात् मासिक देयकों के साथ ब्याज सहित किया जा सकेगा।

5.4 भुगतान अधिकतम 2 वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा।

5.5 देय ब्याज दर, भुगतान की कुल अवधि पर निम्नानुसार आधारित होगा:-

भुगतान की कुल अवधि	**ब्याज दर**
1 वर्ष तक	SBI MCLR* + 1.0 %
2 वर्ष तक	SBI MCLR* + 1.5 %

* आवेदन तिथि पर प्रचलित SBI (1 Yr) MCLR

5.6 शेष किश्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति, यथा पोस्ट डेटिड चैक या अन्य समरूप Financial Instrument, दिया जा सकता है।

6 उपरोक्त योजना के लिये लागू अन्य शर्तें:-

6.1 योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक या आवेदकों के समूह या Resident Welfare Association या नगरीय निकाय द्वारा महाप्रबंधक/वृत्त कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, स्टॉम्प पेपर पर आवेदक/समस्त आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे योजना के प्रावधान अनुसार देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत एकमुश्त जमा करेंगे एवं कनेक्शन चालू होने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान मासिक देयकों के साथ अधिकतम 2 वर्ष की अवधि में करेंगे, जिस पर ब्याज देय होगा।

6.2 शेष राशि के मासिक देयकों के साथ किश्तों पर भुगतान के लिये ब्याज की गणना आवेदन तिथि पर प्रचलित SBI (1 Yr) MCLR पर आधारित होगी।

6.3 योजना का लाभ देने के लिए वितरण कम्पनियो द्वारा एक हेड बनाया जायेगा, जिसमें शेष राशि की किश्तों के भुगतान का पृथक समायोजन किया जायेगा।

6.4 शेष किश्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवेदक/आवेदकों द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय में कंडिका 5.6 के अनुसार प्रतिभूति देनी होगी, जो पूर्ण भुगतान होने पर आवेदक/आवेदकों को वापसी योग्य होगी।

6.5 नवीन कनेक्शनों के लिए आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन देना होगा एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सर्विस कनेक्शन चार्जेस, सुरक्षा निधि, आदि भी देय होगा। कंडिका 5.1 (i) व (ii) श्रेणी के लिए विनियम 4.6.1 (viii) अनुसार सामान्यत: लागू Supply Affording Charges का 10 प्रतिशत देय होगा, जो कि निम्नानुसार होगा :-

(i) 3 किलोवाट तक के उपभोक्ता (सिंगल फेस) - रू. 34 प्रति किलोवाट

(ii) 3 से 10 किलोवाट के उपभोक्ता (थ्री फेस) - रू. 100+3 किलोवाट से अधिक प्रति अतिरिक्त किलोवाट या भाग पर रू. 100 प्रति किलोवाट

साथ ही, उन्हें कंपनी के नियमानुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

6.6 आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण वितरण कंपनियों द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों, वितरण कंपनियों के नियमों एवं प्रचलित एस.ओ.आर. (Schedule of Rates) के अनुसार किया जाएगा।

6.7 आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार किश्तों या मासिक देयकों या दोनों का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किये जाने पर 15 दिवस का सूचना-पत्र देकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकेगा। किसी भी माह चालू देयक एवं किश्त की राशि नियत दिनांक तक जमा नही होने पर आवेदक का संयोजन विच्छेदित करने का दायित्व संबंधित महाप्रबंधक वृत्त प्रभारी का होगा। उपभोक्ता को नियमानुसार सरचार्ज भी देना होगा।

6.8 यदि कोई आवेदक, संयोजन उपरांत किश्तों के पूर्ण भुगतान के पूर्व वर्तमान भार में परिवर्तन चाहता है, तो उसे नये अनुबंध के अंतर्गत विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार कम अथवा बढ़ी हुई संविदा मांग स्वीकृत की जा सकेगी, और उस स्थिति में उपभोक्ता को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अंतर्गत सप्लाई अफोर्डिंग चार्जे देय होगा।

6.9 यदि उपरोक्त योजना अवधि में कोई उपभोक्ता अपने परिसर का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो विद्युत प्रदाय करने हेतु उपरोक्त सुविधाएं नये उपभोक्ता को प्राप्त हो सकेंगी, बशर्ते कि नये उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त दायित्व वहन करने हेतु अंडरटेकिंग व संशोधित प्रतिभूति दी गई हो। साथ ही, उन्हें कंपनी के नियमानुसार नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा।

6.10 जिन आवेदकों / परिसरों के विरुद्ध कोई अन्य बकाया राशि/विद्युत् चोरी के प्रकरण लंबित हैं, वे प्रकरण निराकृत होने तक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

6.11 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में योजनान्तर्गत लाभ दिये जाने से पहले आवेदक द्वारा प्रकरण न्यायालय से वापस लिया जाना अनिवार्य होगा।

6.12 योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के अधिकार विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को रहेंगे। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में गठित समिति, जिसमें निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य), मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता रहेंगे, प्रकरण की विवेचना कर, कंपनी के प्रबंध संचालक के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

6.13 योजनान्तर्गत विद्युतीकृत की गई कॉलोनियों की जानकारी कंपनी स्तर पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) को दी जाएँ, जिससे वे ऐसे क्षेत्रों के संबंध में आवश्यक विनियामक कार्यवाही कर सकें।

6.14 किसी भी प्रकार की विवाद या कोई विधिक या अन्य कोई पेचीदा मुद्दा होने की स्थिति में प्रकरण का निराकरण विभागीय समिति द्वारा किया जाए, जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव(ऊर्जा), प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी व कोई विधिक विशेषज्ञ होंगे, और उक्त समिति के सदस्य-संयोजक संबंधित वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक होंगे।

6.15 योजनावधि में प्राप्त होने वाले आवेदन ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। योजना अवधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हर स्थिति में योजना समाप्ति दिनांक से 30 दिन के अंदर कर दिया जायेगा।

6.16 योजनान्तर्गत निर्धारित शर्तों में संशोधन, शिथिलता एवं स्पष्टीकरण जारी करने हेतु ऊर्जा विभाग अधिकृत रहेगा।

(यथा अनुमोदित)

V.K.Gaur

(व्ही.के.गौड़)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग